रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1982 (अग्रहायण 27, 1904)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1982 (AGRAHAYAN 27, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	763
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1745
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	31
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1525
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	2641
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	4003
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	353
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	421
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	18081
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	721
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	233
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2827
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	281
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolution and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	763
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1745
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	31
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1525
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2641
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	4003
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rule and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	353
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	421
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	18081
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	721
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	233
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2827
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	281
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1982

सं० 48–प्रेज/82—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुन्टाका पन्डुरंगा राव,
कांस्टेबल सं० 2243, (मरणोपरांत)
टाडापल्ली थाना,
गुन्टूर जिला,
आन्ध्र प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8/9 जुलाई, 1979 की रात्रि को श्री गुन्टाका पन्डुरंगा राव को प्रकासम बांध और सीतानगरम् रेलवे पुल के बीच रात्रि की गश्त ड्यूटी पर तैनात किया गया था। अर्ध रात्रि के बाद लगभग 2.30 बजे श्री राव ने तीन अज्ञात अपराधियों को आयरन कास्ट ले जाते हुए देखा, जो प्रकासम बांध के शटरों के ऊपर रखे थे। पुलिस कांस्टेबल को देखकर एक अपराधी सड़क के रास्ते सीतानगरम् की ओर भागा जबकि अन्य दो कृष्णा नदी में कूद पड़े। श्री राव के साथी कांस्टेबल फकरुद्दीन और बांध के वाचमैन ने उस अपराधी का पीछा किया, जो सीतानगरम् की ओर भागा था। श्री राव और बांध का एक अन्य वाचमैन नदी में कूद पड़े और उन दो अपराधियों का पीछा करने लगे। परन्तु तेज बहाव के कारण श्री राव नदी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। श्री राव एक अच्छे तैराक थे किन्तु धारा की तीव्र गति का मुकाबला न कर सके।

श्री गुन्टाका पन्डुरंगा राव ने इस प्रकार वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 49-प्रेज/82—राष्ट्रपति 73वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दिनकर सुभाना काम्बले,
कांस्टेबल सं० 781020507,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 दिसम्बर, 1980 को सैनिक प्राधिकारियों द्वारा गमबलेट कुकी नामक एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया और उसे यानगोपाकपी में सीमा सुरक्षा बल चौकी पर लाया गया। 10 दिसम्बर, 1980 को लगभग 07.15 बजे जब उग्रवादी के हाथ एक मजबूत रस्सी से बांधे हुए थे और एक सन्तरी उसकी निगरानी के लिए तैनात था, और उससे पूछताछ की जा रही थी तथा पूछताछ करने वाले टिप्पणी लिखने और नक्शों की जांच करने में व्यस्त थे तो उग्रवादी ने अपने हाथ छुड़ा लिए, सन्तरी को नीचे गिरा दिया और संतरी से राइफल छीन ली और भारत बर्मा सीमा की तरफ भागने लगा। संतरी ने शोर मचाया और गमबलेट कुकी के पीछे भागा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पांव जंगली क्षेत्र में पेड़ों की बाहर निकली हुई नंगी जड़ों से उलझ गए और वह गिर गया। उग्रवादी घूमा और अपनी राइफल को चलाने के लिए तैयार किया और पीछा कर रहे सीमा सुरक्षा बल/सेना के कार्मिकों पर निशाना लगाया। इस बीच कैम्प के बाहर खड़े श्री दिनकर सुभाना काम्बले ने उग्रवादी को राइफल के साथ भागते हुए और संतरी को उसका पीछा करते हुए देखा। वे संतरी के पीछे भागे लेकिन यह महसूस किया कि उग्रवादी को, जो बर्मा में बच कर भाग सकता था, वश में करना सम्भव न हो पाएगा। तब श्री काम्बले ने एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए झाड़ीदार और गुप्त घुमावदार रास्ता पकड़ा, जहां पर पहुंचने की उग्रवादी कोशिश कर रहा था। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां से उग्रवादी पीछा करते हुए दल पर गोली चलाने के लिए तैयार था। हालांकि वे निशस्त्र थे, फिरभी उन्होंने उग्रवादी को दबोच लिया और उससे भरी हुई राइफल छीन ली। उस समय तक पीछा करता हुए दल भी वहां पहुंच गया और उग्रवादी को दबोच लिया गया।

एक सशस्त्र उग्रवादी को दबोचने में श्री दिनकर सुभाना काम्बले ने उत्कृष्ट वीरता तथा साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 से दिया जाएगा ।

सं० 50-प्रेज/82—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री अहन्थेम रोमन कुमार सिंह,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
मणिपुर,
इम्फाल ।

श्री फुरायलाटपम हरी शर्मा
कांस्टेबल सं० 791111,
मणिपुर ।

श्री मुहम्मद फजुर रहमान,
कांस्टेबल सं० 3299,
मणिपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

9 जुलाई, 1980 को करीब 19.05 बजे लगभग सात सशस्त्र उग्रवादियों ने अस्पताल में कुछ बीमार आदमियों के परिचारक का बहाना करके सशस्त्र गार्ड पर आक्रमण कर दिया, जो एक बीमार की रक्षा के लिए रीजनल मैडिकल कालेज अस्पताल के शल्यचिकित्सा वार्ड में ड्यूटी पर था। उग्रवादियों ने गार्ड को मार दिया और गार्ड से गोला, बारूद के कुछ राउंड सहित सात राइफलें ले लीं और बच कर भाग गए। श्री अहन्थेम रोमन कुमारसिंह को घटना के बारे में सूचना मिली और वे तुरन्त चार कांस्टेबलों के साथ मैडिकल कालेज अस्पताल की ओर चल पड़े। परन्तु अस्पताल को जाने के लिए आम रास्ते के बजाय बहुत ही कम प्रयोग किए जाने वाले मार्ग से वे अस्पताल को गए। जब श्री सिंह इबोटोसना गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल के पास उरीपाक के छोटे मोड़ पर पहुंचे, तो अचानक उनका सामना एक स्कूटर पर सवार दो युवकों से हुआ जो .303 की कई राइफलें लिए हुए थे और मैडिकल कालेज की ओर से आ रहे थे। श्री सिंह ने ड्राइवर के कन्धे के ऊपर से अपना हाथ बाहर निकाल कर अपनी पिस्तौल निकाल ली और उग्रवादियों पर गोली चला दी। वे वाहन से उतरे और श्री फुरायलाटपम हरी शर्मा और श्री मुहम्मद फजुर रहमान के साथ उन्होंने उग्रवादियों का पीछा किया। उन्होंने उग्रवादियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी स्कूटर से गिर पड़ा। उग्रवादियों में से एक ने पुलिस दल पर भी गोली चलाई। मुठभेड़ हुई जिसमें दूसरे उग्रवादी को काबू में कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उग्रवादी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

सशस्त्र उग्रवादियों को पकड़ने में श्री अहन्थेम रोमन कुमार सिंह, श्री फुरायलाटपम हरी शर्मा और श्री मुहम्मद फजुर रहमान ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा ।

सं० 51-प्रेज/82—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बिपुल बिहारी सिकदार, (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल सं० 437,
जगतदल थाना,
24 परगना,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

29 नवम्बर, 1980 को लगभग 18.20 बजे जगतदल थाने में सूचना मिली कि कुछ अपराधी अपराध करने के लिए ई०एस० डी० रेलवे साइडिंग के निकट अटचाल बगान में एक मकान में एकत्र हुए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दल भेजा गया। जब वे उस मकान की ओर बढ़े जहां अपराधियों के छिपने का सन्देह था, तो उन पर बमों से हमला किया गया। बिजली बन्द होने के कारण सारे क्षेत्र में घुप अन्धेरा था। अन्धेरे की आड़ में कुछ स्थानीय बंगाइयों ने भी पुलिस पर बम फैंकने आरम्भ कर दिए जिसके परिणामस्वरूप कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं और एक पुलिस वाहन को क्षति हुई। पुलिस दल पर आक्रमण के विषय में सुनकर, श्री बिपुल बिहारी सिकदार, जो घटनास्थल से लगभग एक फर्लांग गश्ती ड्यूटी पर थे, शीघ्रता से अटचाल बगान तक आये। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस दल संकट की स्थिति में था। उन्होंने अपनी राइफल से ग्यारह राउंड चलाए और अपने कांस्टेबल को भी अपनी बन्दूक से गोली चलाने के लिए कहा। उन्होंने अपराधियों का पीछा भी किया और उनके आमने-सामने आ गए। इसी बीच अपराधियों के दल की एक अन्य टुकड़ी ने दूसरी दिशा से श्री सिकदार पर बम फैंका जो उनकी पीठ पर फटा। इसके परिणामस्वरूप श्री सिकदार घातक रूप से घायल हुए। उनको अस्पताल ले जाया गया परन्तु चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

कुछ भयंकर अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न में तथा अपने साथी पुलिस कर्मचारियों की सहायता करने में श्री विपुल बिहारी सिकदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और अति उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 नवम्बर, 1980 से दिया जाएगा ।

सं० 52-प्रेज़/82—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अहन्थेम रोमन कुमार सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक (केन्द्र),
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

उग्रवादियों ने मणिपुर में थंगमेइबन्द क्षेत्र की स्थानीय जनसंख्या को भयभीत करने के विचार से ताकि वे उनकी विद्रोही गतिविधियों में बाधा न डालें, कुमारी निन्गोम्बाम सोरोजुबाला देवी नामक लड़की का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी। 25 मार्च, 1982 को प्रातः लगभग 5.00 बजे श्री अहन्थेम रोमन कुमार सिंह को सूचना मिली कि पुंगोउबा नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में चार सशस्त्र कट्टर उग्रवादियों का एक गिरोह इम्फाल के खुयाथोन्ग बाजार के आसपास देखा गया है। श्री सिंह ने एक सिविल मिनी बस किराये पर ली और खुयाथोन्ग की ओर बढ़े। उन्होंने चार-चार पुलिस कार्मिकों के दो रुकावट दलों में से एक को खुयाथोन्ग बाजार के यातायात चौराहे के निकट और दूसरे को मोइरंग पोक्पा लैमांग के पास तैनात किया जो उग्रवादियों के बच निकलने के सम्भव मार्ग थे। तीन पुलिस कार्मिक और श्री सिंह मिनी बस में ही रुके रहे, जिसे नागा मापाल रोड के पास खड़ा किया गया था। प्रातः लगभग 7.20 बजे उग्रवादियों का नेता पुन्गोउबा चुपके से थंगमेइबन्द पोलेम लेइकै नामक स्थान से बाहर आया और उस स्थान से जहां श्री सिंह और उनका दल मिनी बस में प्रतीक्षा कर रहा था, लगभग 200 फुट दूर सड़क के चौराहे पर खड़ा हो गया। मिनी बस को उग्रवादियों की ओर ले जाया गया। श्री सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए चलती हुई बस से तेजी से बाहर निकले और उग्रवादी पर झपटे तथा उसके साथ हाथापाई के बाद उसे दबोच लिया। उग्रवादी ने एक भरी हुई रिवाल्वर निकाली और श्री सिंह पर गोली चलाने की कोशिश की किन्तु श्री सिंह ने उसमें भरी रिवाल्वर छीन ली। उग्रवादी को पकड़ लिया गया।

एक सशस्त्र उग्रवादी को गिरफ्तार करने में श्री अहन्थेम रोमन कुमार सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मार्च, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 53-प्रेज़/82—राष्ट्रपति राजस्थान सरकार के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री कल्याण सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 241,
जिला डूंगरपुर,
राजस्थान।

श्री शंकर लाल,
कांस्टेबल सं० 173,
जिला डूंगरपुर,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 मई, 1980, को गांव जोथारी थाना धमबोला के एक व्यक्ति श्री नत्थुलाल से यह शिकायत प्राप्त होने पर कि उस पर उसी गांव के एक व्यक्ति रामचन्द्र ने तलवार से हमला किया है, पुलिस बाह्य चौकी विजा के माध्यम से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट भेजे गए। श्री विजय लाल, कांस्टेबल, को वारंट देने के लिए भेजा गया परन्तु अभियुक्त रामचन्द्र ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। फिर अभियुक्त भाग गया। 14 जुलाई 1980, को पुलिस स्टेशन कोतवाली, डूंगरपुर, में सूचना प्राप्त हुई कि रामचन्द्र, किशोरी लाल के होटल पर बैठा था। श्री कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ होटल में प्रवेश किया और अपने जीवन की परवाह किए बिना अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया परन्तु रामचन्द्र ने उनकी छाती और पेट में दो बार छुरा घोंपा जिसके परिणामस्वरूप श्री कल्याण सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तब कांस्टेबल शंकर लाल अभियुक्त रामचन्द्र पर झपटे और उसको काबू में कर लिया। अभियुक्त ने श्री शंकर लाल को भी छुरा घोंपने की कोशिश की परन्तु वे बच गए। किन्तु श्री शंकर लाल को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

सशस्त्र अपराधी को पकड़ने के प्रयास में श्री कल्याण सिंह ने कर्त्तव्य की वेदी पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया और श्री शंकर लाल को चोटें आईं। दोनों ने उत्कृष्ट वीरता और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा।

मु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 1982

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० प्र० परि०), नई दिल्ली के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए कार्य बल का गठन।

सं० एफ० 1-73/81-स्कूल-4—सरकार द्वारा कार्य बल की स्थापना दिनांक 30 जनवरी, 1982 के संकल्प संख्या एफ० 1-73/81-स्कूल-4 द्वारा की गई थी। मूलतः इसे अपनी रिपोर्ट अपना कार्य शुरू करने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करनी थी। अब कार्य बल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि को बढ़ाकर 31-12-1982 तक करने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० सत्यम, संयुक्त सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1982

सं० एम० डब्ल्यू०/एस० बी० आर०/9(6)/82—सरकार ने भारतीय शिपयार्ड उद्योग के अनिवार्य रूप से विकास करने की आवश्यकता को इस सन्दर्भ में ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में भारतीय जहाजों की मरम्मत पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और यह कि भारतीय शिपयार्ड में विदेशी जहाजों की मरम्मत होने में विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है, महासागर में चलने वाले भारतीय और विदेशी जहाजों की मरम्मत करने वाले उद्योगों की यूनिटों को भी उन रियायतों/सुविधाओं को देने का निर्णय किया है जो 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान उद्योगों को उपलब्ध है। अतः महासागर में चलने वाले जहाजों की मरम्मत करने वाली यूनिटों को नीचे लिखी सुविधाएं दी जायेंगी :—

(i) सीमा शुल्क अधिकरण इन यूनिटों को जहां भी ये स्थित हों, प्रबंधक सुविधाएं देंगे।

(ii) कल पुर्जों को आयात करने की मौजूदा सुविधा के साथ-साथ आयात शुल्क के बिना कच्चा माल और खपत की अन्य वस्तुओं व उद्योग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(iii) जब कभी आवश्यक होगा तब पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों, कच्चा माल और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने के लिए अनुमति दी जाया करेगी।

(iv) मुक्त विदेशी मुद्रा या द्विपक्षीय ऋण के आधार पूंजीगत वस्तुओं के आयात की इस रीति से अनुमति दी जायगी कि यूनिट की लागत में अनावश्यक रीति से वृद्धि न हो जाय।

(v) प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर विदेशी सहयोग या विदेशी विशेषज्ञों से अस्थायी सहायता की अनुमति दी जायगी।

(vi) विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के तहत आने वाली यूनिटों के मामले में विदेशी शेयर पूंजी के विलय की शर्तें जहाज मरम्मत उद्योग में पूंजी निवेश करने पर लागू नहीं की जायेंगी। बड़े बड़े उद्योग गृहों को या जो यूनिटें एकाधिकार तथा निरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन आती हैं उनको इस उद्योग में पूंजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से सामान्य ऋण/शेयर पूंजी के अनुपात पर उधार लेने की अनुमति दी जायेगी।

(vii) इस उद्योग में काम करने वाले उन कलपुर्जों और कच्चा माल पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा जो देश में ही उपलब्ध है।

2. महासागर में चलने वाले जहाजों के मरम्मत उद्योग को और शक्ति चालित अन्य जलयानों के मरम्मत उद्योग को आयकर के मामले में नीचे लिखी रियायतें दी जायेंगी :—

(i) नये जहाज मरम्मत यूनिटों को उन्हें पहले पांच वर्षों में होने वाले लाभ पर आयकर अधिनियम, की धारा 80.1 के अधीन 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ii) इस रियायत के बाद पांच वर्षों तक पूंजी गत वस्तुओं पर एक पारी के यूनिट के लिए 15 प्रतिशत, दोहरी पारी के यूनिट के लिए 22½ प्रतिशत और तिहरी पारी के यूनिट के लिए 30 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास छूट दी जायेगी जिसमें फ्लोटिंग ड्राई डाक शामिल है।

(iii) जहाज मरम्मत उद्योग को 25 प्रतिशत की पूंजी निवेश छूट दी जायेगी। ये रियायतें संबंधित प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होगी।

3. जहाज मरम्मत उद्योग में पूंजी लगाने की आवश्यकता को सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया गया है जो चाहे नौवहन विकास निधि समिति (एस० डी० एफ० सी०) या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि किसी अन्य उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लगाई जाय। इन सुविधाओं को उपलब्ध करने की रीति की जांच की जायगी।

4. ये निर्णय देशी जहाज मरम्मत उद्योग के विकास के लिए नीति संबंधी उपाय अपनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए फरवरी 1982 में नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति की पिछली रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को ध्यान में रख कर लिये गये हैं।

सं० एस० डब्ल्यू०/एस० बी० आर०/9(6)/82

पी० वी० वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1982

संकल्प

सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० एच०–2/81—राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या पी० डब्ल्यू०/पी० टी० एच०-2/81 दिनांक 10 जुलाई, 1981 में आंशिक संशोधन स्वरूप उक्त बोर्ड में इसकी बाकी अवधि में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्री मोहन नायर, तत्कालीन अध्यक्ष, इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन (आई० एन० टी० यू० सी०) वास्को-डी-गामा, गोवा के बदले अब श्री सुब्रत मुखर्जी, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन (आई० एन० टी० यू० सी०), कलकत्ता करेंगे।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० पी० एम्ब्रोस, अपर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1982

आदेश

विषय :—के० एच०-2 संरचना में 156.75 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण/लाईसेंस की स्वीकृति।

सं० 0/12012/13/81-उत्पादन प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के० एच० संरचना में

156.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 6-6-1981 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेंसेट पर 42/– रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अधायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/– रु० की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु० और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु० ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत के० एस०-2 संरचना क्षेत्र आता है और जो अक्षांश 10° 51′ 38″ दक्षिण से 10° 58′ 59″ उत्तर तथा देशांतर 79° 56′ 53.52″ पश्चिम से 80° 07′ 11.04″ पूर्व के बीच है और मानचित्र में ए, बी, सी, और डी के किनारे के प्वाइंटों को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 156.75 वर्ग किमी मीटर है । जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उसके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं उसके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

बेयरिंग

	अक्षांश			देशांतर		
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
1. प्वाइंट ए है	10	56	38.28	79	56	53.52
2. प्वाइंट बी है	10	58	59.15	80	05	43.68
3. प्वाइंट सी है	10	54	01.02	80	07	11.04
4. प्वाइंट डी है	10	51	38	79	58	19.02

भूमि पर तीन मुख्य स्थानों की लगभग दूरी निम्नलिखित है :—

कराईकल—13.29 कि० मी०

नागपतनम—26.79 कि० मी०

पोर्तोनोवो—67.45 कि० मी०

अनुसूची 'ख'

अशोधित तेल, केसिंग हैड कंडेंसेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण ।

के० एच०–2 संरचना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल 156.75 वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर, प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हेड कंडेंसेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घनमीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

भारत के राष्ट्रपति के नाम में और आदेश से
एन० एम० गोयल, निदेशक (अन्वेषी ठेके)

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1982

संकल्प

सं० 18/1/80 हिन्दी—भारत सरकार ने सिंचाई मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है । समिति का गठन, उसके कार्य, इत्यादि निम्न प्रकार होंगे :—

एक गठन

1. सिंचाई मंत्री	अध्यक्ष
2. सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
लोक सभा से दो सदस्य	
3. श्री पी० राजगोपाल नायडू	सदस्य
4. श्री पालस बर्मन	सदस्य
राज्य सभा से दो सदस्य	
5. श्री धुलेश्वर मीणा	सदस्य
6. श्री जे० एस० अकर्ते	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य	
7. श्री नाथू राम मिर्धा, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
8. श्री गणपत वीरा लाल भगत, संसद सदस्य	सदस्य
राज्य सभा	
सरकारी सदस्य,	
9. सचिव, सिंचाई मंत्रालय	सदस्य
10. अपर सचिव, सिंचाई मंत्रालय	सदस्य
11. सचिव राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
12. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
13. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
14. निदेशक, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली	सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, जल तथा विद्युत सलाहकार सेवाएं (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
16. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य
17. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
18. निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे	सदस्य
19. सचिव, केन्द्रीय सिंचाई तथा शक्ति मंडल, नई दिल्ली	सदस्य
20. महाप्रबन्धक, फरक्का बराज परियोजना, फरक्का, जिला मुर्शिदाबाद (प० बं०)	सदस्य
21. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि	
22. डा० रत्नाकर पाण्डेय, संयोजक, नागरी प्रचारिणी सभा 25 सेन्ट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली	सदस्य
23. श्री प्रभात शास्त्री, प्रधान मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1523 कवि कुटीर दरागानी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
अन्य गैर सरकारी सदस्य	
24. श्री चन्द्र नाथ मिश्र, अधिवक्ता, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
25. पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी, प्रभाकर मिलयम, चोपाटिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
26. डा० मलिक मुहम्मद, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय	सदस्य
27. श्रीमती शीला, झुनझुनवाला सुयुक्त संपादक 'हिन्दुस्तान' तथा 'कादम्बिनी' नई दिल्ली	सदस्य
28. श्री रणबीर, सम्पादक, 'मिलाप' नई दिल्ली	सदस्य
29. श्री क्षेम चन्द्र सुमन, "अजय निवास" दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिल्ली 110032	सदस्य
30. श्रीमती प्रभात दीक्षित सी० 239, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ।	सदस्य
31. श्री बालमीकी चौधरी, चांदमारी रोड, पटना	सदस्य
32. संयुक्त सचिव, (प्रशासन) सिंचाई मंत्रालय	सदस्य
	सचिव

दो कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और सम्बन्ध मामलों पर सिंचाई मंत्रालय को सलाह देगी ।

तीन कार्यविधि

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के अध्याधीन, उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा :—

(क) एक सदस्य, जो संसद सदस्य है, उनके संसद सदस्य न रहने पर , वे समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक समिति के सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद पर बने रहेंगे जिस पद पर आसीन होने के कारण वे समिति के सदस्य है ;

(ग) यदि किसी सदस्य के मृत्यु हो जाने अथवा त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप, समिति में कोई रिक्ति हो जाती है, तो उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगे ।

चार सामान्य

(i) समिति, जैसा आवश्यक समझे, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है ।

(ii) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा और वह किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है ।

पांच यात्रा तथा अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियत की गई दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प कि एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा सघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

अ० प्र० सिंह, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th December 1982

No. 48-Pres./82.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Guntaka Panduranga Roa,
Constable No. 2243,
Tadepalli Police Station,
Guntur District (Andhra Pradesh).

Statement of services for which the decoration (Posthumous) awarded

On the night of 8th/9th July, 1979, Shri Guntaka Panduranga Rao was detailed on night patrolling duty between Prakasam Barrage and Seethanagaram Railway Bridge. At bout 2.30 AM, Shri Rao noticed three unknown culprits carrying away iron casts that were kept over the shutters of Prakasam Barrage. On noticing the police constable, one of the culprits ran away by road towards Seethanagaram while the other two culprits plunged into the river Krishna. While Constable Fakruddin, who was accompanying Shri Rao, and the watchman of the Barrage chased the culprit who had run towards Seethanagaram, Shri Rao and another watchman of the Barrage plunged into the river and chased the two culprits. However, due to swift current Shri Rao was drowned in the river and died. Shri Rao was a good swimmer but could not withstand the velocity of the current.

Shri Guntaka Panduranga Rao thus exhibited gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th July, 1979.

No. 49-Pres./82.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the 73 Bn. Border Security Force:—

Name and rank of the officer

Shri Dinakar Subhana Kamble,
Constable No. 781020507,
73 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th December, 1980, an extremist, named Gamblet Kuki, was apprehended by the Army authorities and was brought to BSF post at Yangopokpi. On the 10th December, 1980, at about 0715 hrs., when the extremist was being interrogated, his hand being tied with a strong rope, and one sentry posted to guard him and the interrogators were busy taking down the notes and checking the maps, the extremist freed his hand, knocked down the sentry, snatched the rifle from the sentry and started running towards Indo-Burma border. The sentry raised an alarm and ran after Gamblet Kuki. But unfortunately his legs got entangled with the protruding bare roots of the trees in the forested area and he fell down. The extremist turned round, cocked his rifle and aimed at the chasing BSF/Army personnel. In the meantime, Shri Dinakar Subhana Kamble, who was standing outside the camp, saw the extremist running away with the rifle and the sentry chasing him. He ran after the sentry but realised that it would not be possible to overpower the extremist who might escape to Burma. Shri Kamble then took a detour through a bushy and concealed route to the high spot where the extremist was trying to reach. He reached the spot where the extremist was ready to fire at the pursuing party. Even though he was unarmed, he overpowered the extremist, and snatched the cocked rifle from him. By that time the chasing party also reached there and overpowered the extremist.

In overpowering an armed extremist Shri Dinakar Subhana Kamble exhibited conspicuous gallantry and courage.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th December, 1980.

No. 50-Pres./82.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Police—

Names and rank of the officers

Shri Ahanthem Romen Kumar Singh,
Additional Superintendent of Police, Manipur,
Imphal

Shri Phurailatpam Hari Sharma,
Constable No. 791111,
Manipur.

Shri Mohamed Fazur Rahman,
Constable No. 3299,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 9th July, 1980, at about 1905 hrs., about seven armed extremists, pretending themselves to be attendants of some patients in the hospital, attacked the armed Guard who was on duty in the Surgical Ward of the Regional Medical College Hospital for guarding a patient. The extremists killed the Guard and took away seven Rifles with some rounds of ammunition from the Guards and made good their escape. Shri Ahanthem Romen Kumar Singh received information about the incident and rushed to the Medical College Hospital along with the four Constables. However, instead of approaching the Hospital from the usual route, he took an unfrequented route to the hospital. When Shri Singh reached the short turning of the Uripac near the Ibotosana Girls Higher Secondary School, he suddenly came face to face with two young men on a scooter who were carrying a number of .303 rifles, and were coming from the side of the Medical College. Shri Singh pulled out his pistol by jutting out his hand crossing over the shoulder of his driver and fired at the extremists. He jumped out of his vehicle and gave a chase to the extremists along with Shri Phurailatpam Hari Sharma and Shri Mohamed Fazur Rahman. He fired at them as a result of which one of the extremists fell down from his scooter.

One of the extremists also fired on the Police Party. An encounter ensued. The second extremist was overpowered and was arrested. The former extremist died on the spot.

In apprehending the armed extremists Shri Ahanthem Romen Kumar Singh, Shri Phurailatpam Hari Sharma and Shri Mohamed Fazur Rahman exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th July, 1980.

No. 51-Pres./82.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal police—

Name and rank of the officer

Shri Bipul Behari Sikdar, (*Posthumous*)
Head Constable No. 437,
Jagatdal P.S.,
24 Parganas (West Bengal).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 29th November, 1980, at about 1820 hrs., information was received at Jagatdal Police Station that certain criminals had assembled in a house of Atchalbagan near E.S.D. Railway siding in order to commit a crime. The Police Party was sent to apprehend the criminals were susthey approached the house where the criminals were suspected to be hiding, they were attacked with bombs. The whole area was in complete darkness due to load-shedding. Under the cover of darkness, some local rowdies also started hurling bombs at the Police Party, as a result of which some of the Police personnel received injuries and a police vehicle was damaged. On hearing about the attacked on the Police Party, Shri Bipul Behari Sikdar, who was on picket duty about one furlong from the place of incident, rushed upto Atchalabagan. On reaching there, he found that the police party was in a critical position. He fired eleven rounds from his rifle and also asked his Constable to fire from his gun. He also chased the criminal and came face to face with them. In the meantime another section of the criminals' gang hurled a bomb on Shri Sikdar from another direction. The bomb directly hit Shri Sikdar and burst on his back, as a result of which Shri Sikdar was fatally injured. He was taken to the hospital where he succumbed to his injuries.

In his attempt to apprehend some hardened criminals and while helping his fellow policemen Shri Bipul Behari Sikdar exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th November, 1980.

No. 52-Pres./82.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police—

Name and rank of the Officer

Shri Ananthem Romen Kumar Singh,
Additional Superintendent of Police (Central),
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

With a view to terrorising the local population of the Thangmeiband area of Manipur, so that they may not stand in the way of subersive activities, the extremists kidnapped one miss Ningombam Sorojubala Devi and murdered her. On the 25th March, 1982, at about 5.00 A.M. Shri Ahanthem Romen Kumar Singh received information that a gang of four armed hard-core extremists led by one Pungouba had been seen in and around Khuyathong Bazar of Imphal. Shri Singh hired one civil mini bus and moved towards Khuyathong. He positioned two stop parties with four police personnel each, one near the traffic island of Khuyathong bazar and the other along the Moirang Pokpa Lalmang which were the possible escape routes for the extremists. Three of the police personnel and Shri Singh remained in the mini-bus which was parked along the Naga Mapal Road. At about 7.20 A.M., the extremists' leader Pungouba sneaked out of the Thangmeiband Polem Leikai and stood on the road crossing at a distance of about 200 ft. from the place where Shri Singh and his party were waiting in the mini bus. The mini bus moved nearer towards the extremists. Shri Singh sprinted from the moving bus in disregard of his personal safety and pounced upon the extremist and overpowered him after grappling with him. The extremist took out a loaded revolver and tried to open fire at Shri Singh but Shri Singh snatched the loaded revolver from him. The extremist was captured.

2. The apprehending an armed extremist, Shri Ahanthem Romen Kumar Singh exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th March, 1982.

No. 53-Pres./82.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police—

Names and rank of the Officers

Shri Kalyan Singh, (*Posthumously*)
Constable No. 241,
District Dungarpur (Rajasthan)

Shri Shanker Lal,
Constable No. 173,
District Dungarpur (Rajasthan)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of a complaint by one Shri Nathu Lal of village Jothari, Police Station Dhambola, on 18th May, 1980, that he had been attacked by one Ram Chandra of the same village by a sword, warrants for the arrest of the accused were sent through Police out-post Vinja for execution. Shri Vijay Lal, Constable was deputed to execute the warrants but he was attacked by accused Ram Chandra and was killed. The accused then ran away. On the 14th July, 1980, information was received at Police Station Kotwali, Dungarpur, that Ram Chandra was sitting at the hotel of Kishori Lal. Shri Kalyan Singh along with his associated entered the hotel and without caring for his life made an effort to catch hold of the accused but Ram Chandra stabbed him twice in the chest and abdomen as a result of which Shri Kalyan Singh was killed on the spot. Constable Shanker Lal then pounced upon the accused Ram Chandra and over-powered him. The accused also made an attempt to stab Shri Shanker Lal but the latter escaped. However, Shri Shanker Lal received injuries and was admitted to the hospital.

2. In their attempt to apprehend the armed criminal Shri Kalyan Singh laid-down his life at the altar of duty and Shri Shanker Lal received injuries. Both of them exhibited conspicious gallantry and devotion to duty.

3. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th July, 1980.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 12th October 1982

RESOLUTION

Subject :—Setting up of a Task Force to consider restructuring of the National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi.

No. F. 1-73/81-Sch.4.—The Task Force was set up by the Government vide Resolution No. F. 1-73/81-Sch.4 dated 30th January, 1982. It was orginally required to submit its report within six months from the date it commenced its work. It has now been decided to grant extension of time upto 31-12-82 for the submission of the report by the Task Force.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments and Union Territory Administrations and all Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 3rd November 1982

No. SW/SBR/9(6)/82.—Keeping in view the imperative need for development of indigenous Shiprepair Industry, in the context of huge foreign exchange expenditure on repairs of Indian vessels abroad and the scope for foreign exchange earnings from repair of foreign vessels in Indian Shipyards, the Government have decided to extend the concessions/facilities available to 100% export-oriented units to the Shiprepair Industry for repair of ocean-going vessels, both Indian and foreign. Accordingly, the following benefits will be extended to the Shiprepair Industry for ocean-going vessels :—

(i) Customs Authorities will provide bond facilities to the units wherever they are located.

(ii) In addition to the present facility of import of components, raw materials and consumables without import duty, import of capital goods required by the industry shall be exempt from import duty.

(iii) Imports of capital goods, components, raw materials and consumer goods, as and when required, shall be permitted.

(iv) The import of capital goods shall be allowed against free foreign exchange or bilateral credits in such a way that the cost of the unit is not unduly raised.

(v) Foreign collaboration or temporary assistance by foreign specialists will be permitted on merits of each case.

(vi) Conditions for dilution of foreign equity in the case of units covered by Foreign Exchange Regulation Act (FERA) shall not be enforced for investment in Shiprepair Industry. The Large Houses or the units covered by Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTP) shall be permitted to borrow from financial institutions at normal debt/equity ratio for investment in this industry.

(vii) The indigenously available components and raw materials used by this industry shall be exempt from payment of Central Excise Duty.

2. The Shiprepair Industry for both ocean-going vessels and other powered craft shall be allowed the following concessions in respect of income-tax :—

(i) A deduction of 20% of the profits earned in the first five years shall be allowed to newly established Shiprepair units under Section 80.I of the Income-tax Act.

(ii) Depreciation allowance at the rate of 15% for single shift, 22½% for double shift and 30% for triple shift shall be allowed on the capital goods including floating dry dock for a period of five years from the date of promulgation of the concessions.

(iii) An investment allowance of 25% shall be made available for Shiprepair Industry.

These concessions will take effect from the dates of the orders to be issued by the concerned authorities.

3. The need for providing financing facilities for capital investment in Shiprepair Industry either through Shipping Development Fund Committee (SDFC) or other suitable financial institutions, such as Industrial Development Bank of India (IDBI) etc. has been accepted in principle. The modalities of providing these facilities will be examined.

4. The above decisions have been taken in the light of the recommendations made in the First Report of the Committee set up by the Government in February 1982 to examine the question of formulating policy measures for the development of indigenous Shiprepair Industry, under the Chairmanship of Director General of Shipping.

P. V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 26th November 1982

RESOLUTION

No. PW/PTH-2/81.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. PW/PTH-2/81, dated the 10th July, 1981 regarding reconstitution of National Harbour Board, Shri Subrata Mookherjee, President, Indian National Port and Dock Workers Federation, (INTUC), Calcutta will now represent Labour in place of Shri Mohan Nair, the then President, Indian National Port and Dock Workers Federation, (INTUC) Vasco-da-Gama, Goa, for the remaining period of the term.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. AMBROSE, Addl. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 26th November 1982

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for KH-2 Structure area measuring 156.75 sq. kms.

No. O/12012/13/81-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four year from 6-6-1981 with KH-2 Structure area measuring 156.75 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum,

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonnes or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in

writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE

The area covered by this petroleum exploration licence falls in the KH-2 structure area sand lies between the Latitudes 10° 51' 38" south to 10° 58'59·15" North and longitudes 79° 56'53·52" West to 80° 07'11·404" East and is delineated in the map by the line joining the corner points at ABC&D and measures 156·75 s. kms. area. The latitudes and longitudes on which the points covering the areas fall and the distance in between them are as follows :—

Bearing

	Latitudes			Longitudes		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
1. Point 'A' is at	10	56	38·28	79	56	53·52
2. Point 'B' is at	10	58	59·15	80	05	43·68
3. Point 'C' is at	10	54	01·02	80	07	11·04
4. Point 'D' is at	10	51	38	79	58	19·02

Approximate distances for three prominent places on land area as follows :—

Karaikal = 13·29 km.
Nagapatnam = 26·79 km.
Portonovo = 67·45 km.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.
Petroleum Exploration Licence for KH-2 Structure.
Area measuring 156·75 sq. kms.
Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natutural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1	2	3	4	5

B—Casing head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic-metres obtained	Number of cubic meters unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic meters used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic meters obtained less columns 2 &3	REMARKS
1	2	3	4	5

I, Shri ——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

L. M. GOAL, Director (EC)

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 26th November 1982

RESOLUTION

No. 18/1/80-Hindi.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Irrigation. The composition, functions, etc., of the Samiti will be as follows :—

I. COMPOSITION

Chairman

1. Minister of Irrigation.

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Irrigation.

Two Members of Parliament from Lok Sabha

Members

3. Shri P. Rajagopala Naidu.
4. Shri Palas Barman.

Two Members of Parliament from Rajya Sabha

Members

5. Shri Dhuleshwar Meena.
6. Shri J. S. Akarte.

Two Members of Parliament from

Parliamentary Committee on

Official Language

Members

7. Shri Nathu Ram Mirdha, M.P., Lok Sabha.
8. Shri Ganpat Hiralal Bhagat, M.P., Rajya Sabha.

Official Members

Member

9. Secretary, Ministry of Irrigation.
10. Additional Secretary, Ministry of Irrigation.
11. Secretary, Department of Official Language & Hindi Adviser to the Government of India.
12. Joint Secretary, Department of Official Language.
13. Chairman, Central Water Commission, New Delhi.
14. Director, Central Soil & Materials Research Station, New Delhi.
15. Managing Director, Water & Power Consultancy Services (India) Ltd., New Delhi.
16. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna.
17. Chairman, Central Ground Water Board, New Delhi.
18. Director, Central Water & Power Research Station, Pune.
19. Secretary, Central Board of Irrigation & Power, New Delhi.
20. General Manager, Farakka Barrage Project, FARAKKA, Distt. Murshidabad (West Bengal).
21. Director, National Institute of Hydrology, Roorkee (Uttar Pradesh).

Representatives of All India

Hindi Institutions

22. Dr. Ratnakar Pandey, Convener, Nagri Pracharini Sabha, 25, Central Lane, Bengali Market, New Delhi.
23. Shri Prabhat Shastri, Pradhan Mantri, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, 1523, Kavi KUTIB, Daragani, Allahabad (Uttar Pradesh).

Other Non-Official Members

Members

24. Shri Chandra Nath Misra, Advocate, UNNAO (U.P.)
25. Padma Shri Nanad Kumar Awasthi, Prabhakar Nilayam, Chaupatia, Lucknow (Uttar Pradesh).
26. Dr. Malik Mohd., Head of Hindi Deptt., Calicut University.
27. Shrimati Sheela Jhunjhunwala, Joint Editor, 'Hindustan' and 'Kadambini', New Delhi.
28. Shri Ranbir, Editor 'Milap', New Delhi.
29. Shri Kshem Chand Suman, Ajay Niwas, Dilshad Colony, Shahdara, Delhi-110032.
30. Shrimati Prasanna Dikshit, C-239, Defence Colony, New Delhi.
31. Shri Balmiki Choudhry, Chandmari Road, Patna.

Member-Secretary

32. Joint Secretary (Administration), Ministry of Irrigation.

II. FUNCTIONS

The Samiti will advise the Ministry of Irrigation on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and allied issues.

III. TENURE

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :—

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continues as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of a member, the matter appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

IV. GENERAL

(i) The Samiti may nominate additional members as co-opted members and invite experts to attend its meetings as may be considered necessary.

(ii) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. Travelling and other Allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. P. SINH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982